न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 112/2019

1 सुरजाराम पुत्र गीगाराम उम्र 70 वर्ष जाति माली निवासी चौकड़ी तहसील खण्डेला जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1 महावीर प्रसाद पुत्र बंशीधर (मृत)।
1/1 मीरा देवी पत्नी महावीर प्रसाद उम्र 72 वर्ष।
1/2 राजेश उम्र 37 वर्ष पुत्र महावीर प्रसाद।
1/3 पवन उम्र 34 वर्ष पुत्र महावीर प्रसाद।
1/4 रवि उम्र 30 वर्ष पुत्र महावीर प्रसाद।
1/5 मिनाक्षी उम्र 42 वर्ष पुत्री महावीर प्रसाद।
1/6 अनिता उम्र 40 वर्ष पुत्री महावीर प्रसाद।
1/7 रेखा उम्र 26 वर्ष पुत्री महावीर प्रसाद।
1/8 मंजू उम्र 26 वर्ष पुत्री महावीर प्रसाद।
1/9 मधु उम्र 24 वर्ष पुत्री महावीर प्रसाद।
1/10 मीनू उम्र 22 वर्ष पुत्री महावीर प्रसाद।
2 पटवारी हल्का चौकड़ी तहसील खण्डेला जिला सीकर।
3 भूमिधारी तहसीलदार खण्डेला जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला जिला सीकर प्रार्थना पत्र संख्या 15/2016 उनवानी सुरजाराम बनाम महावीर प्रसाद वगैरह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 दिनांक 11.11.2019

उपस्थिति :

1. श्री सोहनलाल चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री प्रभातीलाल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 05.03.2020

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला द्वारा मुकदमा नम्बर 15/2016 में पारित निर्णय दिनांक 11.11.2019 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा रेस्पोडेंट के खिलाफ योग्य अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला के समक्ष एक आवेदन पत्र उनवानी सुरजाराम बनाम महावीर प्रसाद आदि इन अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जा, काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 2221 रकबा 1.5100 हैक्टेयर तन ग्राम चौकड़ी पटवार हल्का चौकड़ी तहसील खण्डेला जिला सीकर में अवस्थित है। जिसमें प्रार्थी का आवागमन का एकमात्र रास्ता अप्रार्थी की खातेदारी व कब्जा, काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 2220 रकबा 2.80 हैक्टेयर तन ग्राम चौकड़ी तहसील खण्डेला में से होकर नजरी नक्शा में दर्शितानुसार सड़क से उक्त खसरा नम्बर 2220 की उत्तरी सीमा के सहारे—सहारे 12 फिट चौड़ाई का चला आ

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

रहा है जिससे होकर प्रार्थी आवागमन करता आ रहा है तथा अपने साधन, ट्रेक्टर, जीव आदि लाता ले जाता आ रहा है। परन्तु अप्रार्थी उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड व नक्शा ट्रेस राजस्व में अंकित नही होने से अप्रार्थी के मन में बदनियति आ गई है जो रास्ता को बंद करने व अवरूद्व करने पर उतारू है इसलिए न्यायहित में उक्त रास्ता को राजस्व रिकार्ड व नक्शा ट्रेस में दर्ज करवाया जाना अति आवश्यक है। यह आवेदन प्रस्तुत होने पर विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई अपीलांट का आवेदन खारिज किया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि दिनांक 23.11.2016 को तहसीलदार खण्डेला से प्रकरण के बारे में रिपोर्ट मांगी। दिनांक 06.12.2017 को अप्रार्थी संख्या 1 महावीर प्रसाद की फोतगी के कारण कायम मुकाम की कार्यवाही हुई। दिनांक 29.03.2019 को अप्रार्थीगण की और से तहसीलदार खण्डेला की रिपोर्ट जो दिनांक 12.03.2017 को प्रस्तुत हुई थी पर आपत्ति प्रस्तुत की गई, जिसका जवाब अपीलांट द्वारा दिनांक 10. 04.2019 को दिया गया। जिस पर दिनांक 30.09.2019 को बहस सुनी गई तथा दिनांक 11.11.2019 को तथ्यों के विपरित जाकर अपीलाधीन आदेश पारित करते हुए अपीलांट का प्रार्थना पत्र अवैध रूप से खारिज किये जाने बाबत आदेश पारित कर दिया गया। अपीलांट द्वारा खसरा नम्बर 2227 चारागाह में से होकर रास्ता नहीं मांगा गया है। इसके बावजूद योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा केवल मात्र इस निराधार आधार के आधार पर कपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया कि अपीलांट द्वारा चारागाह भूमि में से रास्ता मांगा गया है। पोषणीय नहीं है। इस कारण अपीलाधीन आदेश स्थित रहने योग्य नहीं है। अपील स्वीकार कर रिमाण्ड करने का निवेदन किया है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि प्रार्थी द्वारा अपने आवेदन में खसरा नम्बर 2228 में स्थित सड़क में से खसरा नम्बर 2227 चारागाह से

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

होते हुये एवं खसरा नम्बर 2220 रेस्पोडेंट की खातेदारी भूमि में से होते हुए स्वंय की भूमि खसरा नम्बर 2221 तक रास्ता चाहा है। धारा 251ए में स्वीकृत मार्ग से सटी हुई निजि खातेदारी की भूमि में से निकटतम रास्ता दिये जाने का प्रावधान है। चारागाह भूमि में से रास्ता दिये जाने का प्रावधान धारा 251ए में नही है। विचारण न्यायालय ने ऐसी स्थिति में अपीलांट का आवेदन खारिज करने में कोई विधिक भूल नही की है। अपील सारहीन है खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण अपीलांट की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय ने दिनांक 23.11.2016 को तहसीलदार खण्डेला से प्रकरण के बारे में रिपोर्ट मांगी। दिनांक 06.12.2017 को अप्रार्थी संख्या 1 महावीर प्रसाद की फोतगी के कारण कायम मुकाम की कार्यवाही हुई। दिनांक 29.03.2019 को अप्रार्थीगण की और से तहसीलदार खण्डेला की रिपोर्ट जो दिनांक 12.03.2017 को प्रस्तुत हुई थी पर आपत्ति प्रस्तुत की गई, जिसका जवाब अपीलांट द्वारा दिनांक 10.04.2019 को दिया गया। जिस पर दिनांक 30.09.2019 को बहस सुनी गई तथा दिनांक 11.11.2019 को तथ्यों के विपरित जाकर अपीलाधीन आदेश पारित करते हुए अपीलांट का प्रार्थना पत्र अवैध रूप से खारिज किये जाने बाबत आदेश पारित कर दिया गया। अपीलांट द्वारा खसरा नम्बर 2227 चारागाह में से होकर रास्ता नहीं मांगा गया है। इसके बावजूद योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा केवल मात्र इस निराधार आधार के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया कि अपीलांट द्वारा चारागाह भूमि में से रास्ता मांगा गया है।

प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट द्वारा निजि खातेदारी की भूमि में से चारागाह तक रास्ता चाहा गया है। अपीलांट ने चारागाह में से रास्ता नही चाहा है। विचारण न्यायालय ने इस पर गौर किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर दिया है। ऐसा निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को उभयपक्ष को सुनकर गुणावगुण पर निर्णय हेतु प्रति प्रेषित किया जाता है। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 27.03.2020 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 05.03.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर